रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1972/आश्विन 8, 1894
No. 248] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1972/ASVINA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September 1972

G.S.R. 421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Third Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958, in rule 16, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(2) A member of the Service may, after giving at least three months' previous notice in writing, to the State Government concerned, retire from service on the date on which such member completes thirty

years of qualifying service or attains fifty years of age or on any date thereafter to be specified in the notice:

Provided that no member of the Service under suspension shall retire from service except with the specific approval of the State Government concerned.

(3) The Central Government may, in consultation with the State Government concerned and after giving a member of the Service at least three months' previous notice in writing, require that member to retire in public interest, from service on the date on which such member completes thirty years of qualifying service or attains fifty years of age or on any date thereafter to be specified in the notice".

[No. 28/8/72-AIS(II).]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 421(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है।

1. (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 में उपनियम (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(2) इस सेवा का कोई सदस्य, सम्बन्धित राज्य सरकार को कम से कम तीन मास पहले लिखित नोटिस देकर उस तारीख को, जिसको, ऐसा सदस्य 30 साल की अर्हक-सेवा पूरी कर ले अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले अथवा उसके बाद, ऐसी किसी भी तारीख को जो नोटिस में निर्दिष्ट की गई हो, सेवा से निवृत्त हो सकता है।

परन्तु सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसे निलम्बित कर दिया गया हो, सम्बन्धित राज्य सरकार के विशेष अनुमोदन के बिना सेवा से निवृत्त नहीं होगा।

3. केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श करके और इस सेवा के किसी सदस्य को कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस पहले देने के पश्चात् उस सदस्य से लोकहित में यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस तारीख को, जिसको कि वह सदस्य 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ले अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले अथवा नोटिस में निर्दिष्ट उसके बाद की किसी भी तारीख को ही सेवा से निवृत्त हो।"

[सं० 28/8/72-अ०भा०से० (II)]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972